राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक एफ.11(7)( )मो / टाइम्स / आईसीडीएस / 13 / जयपुर, दिनांक

1. समस्त अधिकारी, निदेशालय।
2. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।

विषय :– दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के लक्ष्य एवं क्रियान्विति अंकित करने बाबत्।

प्रसंग :– शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (टाइम्स) विभाग के पत्र क्रमांक प.3(1)प्र.सु. / टाइम्स / 2016 दिनांक 15.12.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (टाइम्स) विभाग ने अपने पत्र क्रमांक प.3(1) प्र.सु. / टाइम्स / 2016 दिनांक 15.12.2016 द्वारा अवगत कराया है कि आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान एवं निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर किये जाने वाले दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के लक्ष्य तथा क्रियान्विति राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अंकित करने के लिए प्रशासनिक सुधार (टाइम्स) विभाग के पत्र क्रमांक प.3(1)प्र.सु. / टाइम्स / 2015 दिनांक 08.04.2015 के द्वारा निर्देशित किया गया है।

उन्होंने अवगत कराया है कि पोर्टल पर माह अक्टुबर,2016 की समीक्षा के दौरान परिलक्षित हुआ है विभाग के कुल 2518 अधिकारियों में से 23 अधिकारियों के लक्ष्य अंकित किये गये हैं तथा 07 अधिकारियों द्वारा ही क्रियान्वित अंकित की गई है। शेष 16 अधिकारियों द्वारा क्रियान्वित अंकित नहीं की गई है।

सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिनके दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के लक्ष्यों के अनुरूप क्रियान्विति नहीं की है, वे इस ओर विशेष ध्यान देकर क्रियान्वित करावें।

कृपया इसको सर्वोच्चय प्राथमिकता प्रदान करें।

-sd-

निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

4852-53

क्रमांक एफ.11(7)( )मो / टाइम्स / आईसीडीएस / 13 / जयपुर, दिनांक 10/1/2017

प्रतिलिपिः
1. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (टाइम्स) विभाग के पत्र क्रमांक प.3(1)प्र.सु. / टाइम्स / 2016 दिनांक 15.12.2016 के क्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है कि वे विभाग के अधिकारियों के राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर चालू वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों की फीडिंग से संबंधित पूर्व में भी पृष्ठांकित पत्र क्रमांक 126967–68 दिनांक 28.09.16 द्वारा निर्देशित किया गया था, परन्तु अभी तक उक्त कार्यवाही नहीं की गई है, पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यवाही शीघ्र कराना सुनिश्चित करावे।
3. प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड वास्ते।

नॉडल अधिकारी (टाइम्स)
अतिरिक्त निदेशक (I)